राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2017"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला–अजमेर
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 17/2016
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प – कोटडा

1– कानसिंह पुत्र श्री हजारीसिंह, जाति रावत,
2– श्री प्यारासिंह पुत्र श्री जहजारीसिंह, जाति रावत,
3– श्री मांगूसिंह पुत्र श्री हजारीसिंह, जाति रावत,
निवासियान ग्राम कोटडा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)

––––––––वादीगण/प्रार्थीगण

ब ना म

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब, ब्यावर (राज.)

................प्रतिवादी/अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट

निर्णय   दिनांक 02.06.2017

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2017 कैम्प कोर्ट कोटडा में प्रस्तुत हुआ। वादी ने अपने वाद पत्र में सारांशतः कथन किया है कि वादी के स्वर्गीय पिता श्री हजारी मुतबन्ना जोधा, कौम रावत, निवासी ग्राम कोटडा के नाम से ग्राम कोटडा, पटवार हल्का कोटडा, भू अभिलेख निरीखक क्षेत्र नरबदखेडा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (राज.) में आराजी भूमि खसरा नंबर 2463, 2474, 2475, 2547, 2548, 2634, 2717, 2847 कुल किता 8 रकबा 05–12–10 अंकन दर्ज होती चली आ रही है। संवत् 2059 से 2062 की जमाबंदी में दर्ज है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड जमांदी संवत् 2070 से 73 में वादी के स्वर्गीय पिता का नाम हजारी मुतबन्ना रावत अंकन दर्ज किया हुआ है जो गलत है जबकि वादी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम संवत् 2059 से 2062 के अनुसार हजारी मुतबन्ना जोधा कौम रावत, निवासी ग्राम कोटडा तहसील ब्यावर अंकन दर्ज है, इसी अनुसार संवत् 2070–73 की जमबांदी में राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर सही नाम हजारी मुतबन्ना जोधा, कौम रावत, निवासी कोटडा, तहसील ब्यावर अंकन दर्ज किया जाना अतिआवश्यक एवं न्यायोचित है। वादीगण के पिता हजारी मुतबन्ना जोधा का नाम जमाबंदी संवत् 2070–73 में अंकन होने के कारण वादीगण के नाम फौती नामान्तरण नहीं हो पा रहा है और वह सभी वादीगण अपनी पुश्तैनी आराजीयात में दाखिल खारिज करवाने से वंचित हो रखे हैं। वादीगण के पिता स्वर्गीय हजारी मुतबन्ना जोधा, के परिवार का सजरा वाद के पद नंबर 4 में अंकित है। वादीगण के पिता मृतक हजारीसिंह के उक्त सजरा अनुसार परिवारजन/वारिसानों के अलावा अन्य कोई जीवित वारिसान नहीं हैं। अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पिता का नाम जमाबंदी संवत् 2059–62 में दर्ज हजारी मुतबन्ना जोधा, कौम रावत, निवासी कोटडा के अनुसार संवत् 2070–73 की जमाबंदी में नाम दुरूस्त करते हुए वादीगण के नाम नामान्तरण करण किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब तलब किया गया। तहसीलदार ब्यावर ने अपने पत्रांक भू.अ./17/3350 दिनांक 02.06.2017 में कथन किए कि ग्राम कोटड़ा की गत जमाबन्दी संवत् 2066–69 के खाता संख्या 542 अनुसार संहवन से हजारी मुतबन्ना रावत दर्ज हो गया है जबकि सही प्रविष्टि हजारी मु. जोधा है एवं उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण आज कैम्प कोर्ट में उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया।

पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि ग्राम कोटड़ा की जमाबन्दी संवत् 2059–62 के खाता संख्या 527 में अन्य सहखातेदारान के साथ हजारी मु0 जोधा 1/2 हि. कौम रावत सा. देह खातेदार दर्ज है जिसे आगामी रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2066–69 के खाता संख्या 542 में हजारी मुतबन्ना रावत सा.देह खातेदार दर्ज हुआ है जो

......लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2017"

अंकन गलत रूप से संहवन से दर्ज हुआ है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी ने अपना ग्राम पंचायत कोटड़ा का सजरा भी प्रस्तुत किया है जिसमें भी हजारी वल्द केशरसिंह उर्फ हजारी मुतबन्ना जोधा अंकित है तथा जो राजस्व रेकार्ड में भी दर्ज हुआ है। तहसीलदार ब्यावर द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी इसे दुरूस्त किया जाना उचित बताया है।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम कोटड़ा की जमाबन्दी संवत् 2066–69 के खाता संख्या 542 से तथा उसके बाद की बनी अब तक की रोटेशन जमाबन्दियों में हजारी मुतबन्ना जोधा 1/2 हि. कौम रावत सा. देह खातेदार अंकित कर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार ब्यावर पर पारित किये जाते हैं। अन्य इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 02.06.2017 को कैम्प कोर्ट कोटड़ा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर